



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ खंडपीठ

रिट - बी संख्या - 168 वर्ष 2026

भानु प्रताप वर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप निदेशक चकबंदी बहराइच और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राजेउ कुमार त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मो. परवेज इकबाल, मो. तबरेज़

इकबाल, पीयूष किशोर, शाश्वत श्रीवास्तव, उमा शंकर

सहाय

न्यायालय संख्या-6अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल सेवा का शपथ-पत्र और प्रतिवादी संख्या 2 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री उमा शंकर सहाय द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ले लिए गए हैं।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 10 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को इस न्यायालय ने अपने दिनांक 12.03.2026 के आदेश में दर्ज किया था, जिसे यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से नोटिस विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता श्री यू.एस. सहाय ने प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है, जिन्होंने प्रारंभिक आपत्तियाँ दाखिल की हैं, जिन्हें अभिलेख पर ले लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस याचिका में शामिल मामला एक संक्षिप्त प्रश्न है। कुल मिलाकर 6 पुनरीक्षण/निगरानी बहराइच के उप निदेशक, चकबंदी के समक्ष निर्णय हेतु लंबित हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार यह प्रकरण उन्हीं पक्षों के मध्य उसी भूखंड से संबंधित है, यद्यपि पहले किए गए एक अनुरोध पर सभी पुनरीक्षण/निगरानी बहराइच के उप निदेशक चकबंदी के समक्ष स्थानांतरित कर दिए गए थे। बाद में एक और पुनरीक्षण/निगरानी भी बहराइच के उप निदेशक चकबंदी को स्थानांतरित किया गया, परन्तु उसे इन मामलों के साथ समेकित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया कि सभी 6 पुनरीक्षणों/निगरानी की सुनवाई एक साथ की जाए। समेकन हेतु प्रस्तुत यह आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है।

व्यथित होकर याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष मात्र इस प्रार्थना के साथ उपस्थित हुआ है कि सभी 6 पुनरीक्षणों/निगरानी की सुनवाई एक साथ की जाए।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री यू.एस. सहाय ने यह आशंका व्यक्त की है कि यह पुनरीक्षण/निगरानी लगभग 3 दशकों के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता का प्रयास विलंब के मुद्दे पर विचार करने के बजाय जिस पर पहले निर्णय लिया जाना आवश्यक है पुनरीक्षाओं को उनके गुण-दोष के आधार पर निर्णित करवाना प्रतीत होता है।

जो भी हो निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से 10 को भी सुनना आवश्यक होगा। तदनुसार प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया जाए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वे बहराइच में उप-निदेशक चकबंदी के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ता के माध्यम से दस्ती समन द्वारा निजी प्रतिवादी संख्या 3 से 10 को समन तामील कराएं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कल अर्थात् 13.03.2026 तक आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकरण को 24 मार्च 2026 को फ्रेश (नए मामले) के रूप में सूचीबद्ध करें, इस तारीख को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ-पत्र का तामिला प्रस्तुत किया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. उपर्युक्त बातों के आलोक में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 07.04.1983 के आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण/निगरानी सहित सभी छह पुनरीक्षणों/निगरानी की सुनवाई एक साथ की जाए, क्योंकि विचाराधीन भूमि इन सभी पुनरीक्षणों/निगरानी में समान है।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री यू.एस. सहाय ने उक्त प्रार्थना का इस आधार पर विरोध किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल छठी पुनरीक्षण/निगरानी याचिका (पुनरीक्षण संख्या 20 वर्ष 2020) दोषपूर्ण है, क्योंकि इसे विलंब क्षमा आवेदन के साथ दाखिल किया गया है, जिसमें लगभग 37 वर्षों के विलंब को क्षमा करने की मांग की गई है, अतः इसे समेकित नहीं किया जा सकता। तथापि पक्षों के मध्य इस बात पर कोई असहमति नहीं है कि विचाराधीन भूमि उन सभी पुनरीक्षण/निगरानी याचिकाओं के संबंध में समान है, जो लंबित हैं और जिन पर निर्णय लिया जाना है।

6. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए मैं यह निर्देश देना उचित समझता हूँ कि पुनरीक्षण/निगरानी प्राधिकारी, पुनरीक्षण संख्या 20 वर्ष 2020 में विलंब क्षमा हेतु दाखिल आवेदन पर विधि के अनुसार दो सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश पारित करेंगे और इस दौरान किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा।

7. यदि विलम्ब को क्षमा कर दिया जाता है, तो सभी पुनरीक्षण/निगरानी की सुनवाई एक साथ की जाएगी और उन पर एक साथ ही निर्णय सुनाया जाएगा। यदि विलम्ब क्षमा करने का आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो बाकी बचे पाँच पुनरीक्षण/निगरानी पर अलग से तेजी से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और हो सके तो चार महीने के अंदर निर्णय सुनाया जाएगा। विलम्ब क्षमा करने का आवेदन खारिज होने की स्थिति में याचिकाकर्ता उन सभी विधिक उपचारों का लाभ उठाने का हकदार होगा जो उसे विधि के अधीन उपलब्ध हैं।

8. वर्तमान याचिका का निस्तारण उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति पंकज भाटिया)

24 मार्च 2026

प्रीती/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।